NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/99/2026 दिनांक –03.07.2026

(ईमेल / डाक)

सेवा में,

1. मा0 रजिस्ट्रार जनरल,
   उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) 263001
   ईमेल – highcourt-ua@nic.in
2. मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
   जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) 249403
   ईमेल – dj-har-ua@nic.in
3. श्रीमान जिलाधिकारी,
   जनपद–हरिद्वार, कलेक्ट्रेट, रोशनाबाद, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 249403
   ईमेल – dm-har-ua@nic.in
4. श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
   जनपद–हरिद्वार, रोशनाबाद, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 249403
   ईमेल – ssp-har-ua@nic.in
5. श्रीमान तहसीलदार,
   तहसील–हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) 249407

विषय : जनपद हरिद्वार स्थित विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं न्यायालय परिसरों में नागरिकों हेतु निर्मित सार्वजनिक शौचालयों की अत्यंत जर्जर, अस्वच्छ, अनुपयोगी, बंद एवं दुरुपयोग की स्थिति के संबंध में तत्काल उच्च स्तरीय निरीक्षण, समयबद्ध सुधारात्मक कार्यवाही, उत्तरदायित्व निर्धारण एवं अनुपालन सुनिश्चित किए जाने विषयक।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक जनहित एवं लोककल्याण के उद्देश्य से कार्यरत संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के मूल्यों, प्रशासनिक पारदर्शिता, विधि के शासन,

(Chairman)
National Public Service Trust
03/07/26

सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिकों की सुरक्षा तथा सुशासन को प्रोत्साहित करना है एवं उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 03/07/2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद हरिद्वार स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों एवं न्यायिक परिसरों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट हरिद्वार, जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार तथा तहसील हरिद्वार में नागरिकों, अधिवक्ताओं, वादकारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के उपयोग हेतु निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया गया। निरीक्षण के समय प्रत्येक स्थान के रंगीन फोटोग्राफ एवं लोकेशन सहित साक्ष्य संकलित किए गए, जिनसे अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक तथ्य प्रकाश में आए।

स्थलीय निरीक्षण से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ कि अनेक सार्वजनिक शौचालय या तो पूर्णतः बंद हैं, अथवा अत्यधिक जर्जर, अस्वच्छ एवं अनुपयोगी अवस्था में हैं। अनेक स्थानों पर स्वच्छता का पूर्ण अभाव, टूटी हुई संरचनाएं, क्षतिग्रस्त सैनिटरी फिटिंग्स, जल निकासी व्यवस्था की दुर्दशा, दीवारों एवं फर्श पर गंदगी, सीलन, दुर्गंध तथा रखरखाव की घोर कमी दिखाई दी। ऐसी स्थिति किसी भी आधुनिक एवं उत्तरदायी प्रशासन के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है तथा नागरिकों की गरिमा एवं स्वास्थ्य के साथ प्रत्यक्ष खिलवाड़ है।

कलेक्ट्रेट/जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के निरीक्षण के दौरान पुरुष एवं महिला सार्वजनिक शौचालय दोनों ताले से बंद पाए गए। सार्वजनिक धन से निर्मित एवं नागरिकों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराए गए शौचालयों का इस प्रकार बंद रखा जाना न केवल प्रशासनिक विफलता का उदाहरण है, बल्कि इससे प्रतिदिन कार्यालय आने वाले हजारों नागरिकों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण के समय किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था अथवा सूचना भी उपलब्ध नहीं थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार कार्यालय परिसर में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति अत्यंत जर्जर एवं चिंताजनक पाई गई। निरीक्षण के दौरान दीवारों पर सीलन, फर्श पर गंदगी, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन, टूटी हुई जल निकासी व्यवस्था, जर्जर वॉश बेसिन, अस्वच्छ शौचालय सीटें, अनुपयोगी सैनिटरी फिटिंग्स तथा रखरखाव का पूर्ण अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्मित कुछ शौचालयों का उपयोग शौचालय के रूप में न करके स्टोर रूम एवं कूड़ाघर के रूप में किया जा रहा है, जिनमें दवाइयों के कार्टन, कबाड़ एवं अन्य सामग्री भरी हुई थी। सार्वजनिक सुविधा का इस प्रकार दुरुपयोग अत्यंत गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का परिचायक है तथा यह सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

(Chairman)
National Public Service Trust

जिला एवं सत्र न्यायालय, हरिद्वार परिसर का निरीक्षण अत्यंत चिंताजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है। श्रीमान सिविल जज (जे0डी0) कार्यालय के समीप स्थित महिला शौचालय एवं ट्रांसजेंडर शौचालय दोनों ताले से बंद पाए गए, जिससे महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधा पूर्णतः निष्प्रभावी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर के अन्य सार्वजनिक शौचालयों में अत्यधिक गंदगी, दुर्गंध, जंग लगी पाइपलाइन, क्षतिग्रस्त वॉश बेसिन, टूटे हुए यूरिनल, गंदे फर्श, अनुपयोगी सैनिटरी फिटिंग्स तथा रखरखाव का गंभीर अभाव पाया गया। अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के उपयोगार्थ निर्मित शौचालय भी अत्यंत दयनीय एवं अस्वास्थ्यकर स्थिति में पाए गए, जहां निर्माण अवशेष, टूटी हुई संरचनाएं, जल निकासी की खराब व्यवस्था तथा व्यापक गंदगी विद्यमान थी। न्यायालय परिसर प्रतिदिन हजारों अधिवक्ताओं, वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों का केंद्र होता है। ऐसी स्थिति न्यायिक संस्थानों की गरिमा के अनुरूप नहीं कही जा सकती तथा तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप अपेक्षित है।

तहसील हरिद्वार परिसर में स्थित सार्वजनिक शौचालय भी पूर्णतः जर्जर, अत्यधिक अस्वच्छ एवं लगभग अनुपयोगी स्थिति में पाए गए। निरीक्षण के दौरान टूटी हुई संरचनाएं, क्षतिग्रस्त सैनिटरी उपकरण, गंदगी, दुर्गंध तथा रखरखाव के अभाव की स्थिति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुई। ऐसी परिस्थिति में प्रतिदिन तहसील आने वाले नागरिकों को अत्यधिक असुविधा एवं स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त निरीक्षण से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि जनपद हरिद्वार के अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालयों एवं न्यायिक परिसरों में सार्वजनिक शौचालयों के संचालन, स्वच्छता, रखरखाव, निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था अत्यंत शिथिल एवं प्रभावहीन है। यह स्थिति स्वच्छ भारत मिशन, मानवीय गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन एवं स्वच्छ वातावरण के अधिकार की भावना के प्रतिकूल है।

विशेष रूप से जिला न्यायालय परिसर में पाई गई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रतिनिधित्व माननीय "रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय" को भी प्रेषित किया जा रहा है, ताकि न्यायालय परिसरों में उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक संज्ञान लेकर उचित दिशा–निर्देश जारी किए जा सकें तथा जिला न्यायालय, हरिद्वार में स्वच्छ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

अतः नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट जनहित में आपसे निम्नलिखित बिंदुओं पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध करता है :–

1. उपरोक्त संपूर्ण प्रकरण का तत्काल उच्च स्तरीय संयुक्त निरीक्षण कराया जाए एवं सभी बंद सार्वजनिक शौचालयों को तत्काल प्रभाव से खोलकर आम जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाए।

(Chairman)
National Public Service Trust

2. जनपद–हरिद्वार के शासकीय कार्यालयों एवं न्यायालय परिसरों में स्थित सभी जर्जर एवं अनुपयोगी शौचालयों की समयबद्ध मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण कराया जाए, सभी सैनिटरी फिटिंग्स, वॉश बेसिन, यूरिनल, शौचालय सीटें, फ्लश सिस्टम, पाइपलाइन, जलापूर्ति एवं प्रकाश व्यवस्था को तत्काल कार्यशील बनाया जाए, सार्वजनिक शौचालयों का स्टोर रूम अथवा कूड़ाघर के रूप में किया जा रहा उपयोग तत्काल प्रभाव से समाप्त कराया जाए तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए।

3. जनपद–हरिद्वार के शासकीय कार्यालयों एवं न्यायालय परिसरों में शौचालयों की दैनिक सफाई, नियमित निरीक्षण, स्वच्छता रजिस्टर तथा उत्तरदायी अधिकारी की स्पष्ट नामित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही के लिए उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल से निवेदन है कि न्यायालय परिसरों की स्थिति पर प्रशासनिक संज्ञान लेकर जिला न्यायाधीश, हरिद्वार के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

अतः जनहित, विधि के शासन तथा संविधान की भावना को दृष्टिगत रखते हुए इस पत्र पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(Chairman)
National Public Service Trust

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

<u>संलग्नक :–</u>

1. दिनांक 03/07/2026 के स्थलीय निरीक्षण के दौरान लिए गए रंगीन फोटोग्राफ एवं लोकेशन विवरण (22 पृष्ठ)

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जे0डी0), हरिद्वार कार्यालय के पास स्थित महिला शौचालय तालाबंद पाये गये

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जे0डी0), हरिद्वार कार्यालय के पास स्थित ट्रांसजेंडर शौचालय तालाबंद पाये गये

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जे0डी0), हरिद्वार कार्यालय के पास स्थित ट्रांसजेंडर व महिला शौचालय तालाबंद पाये गये

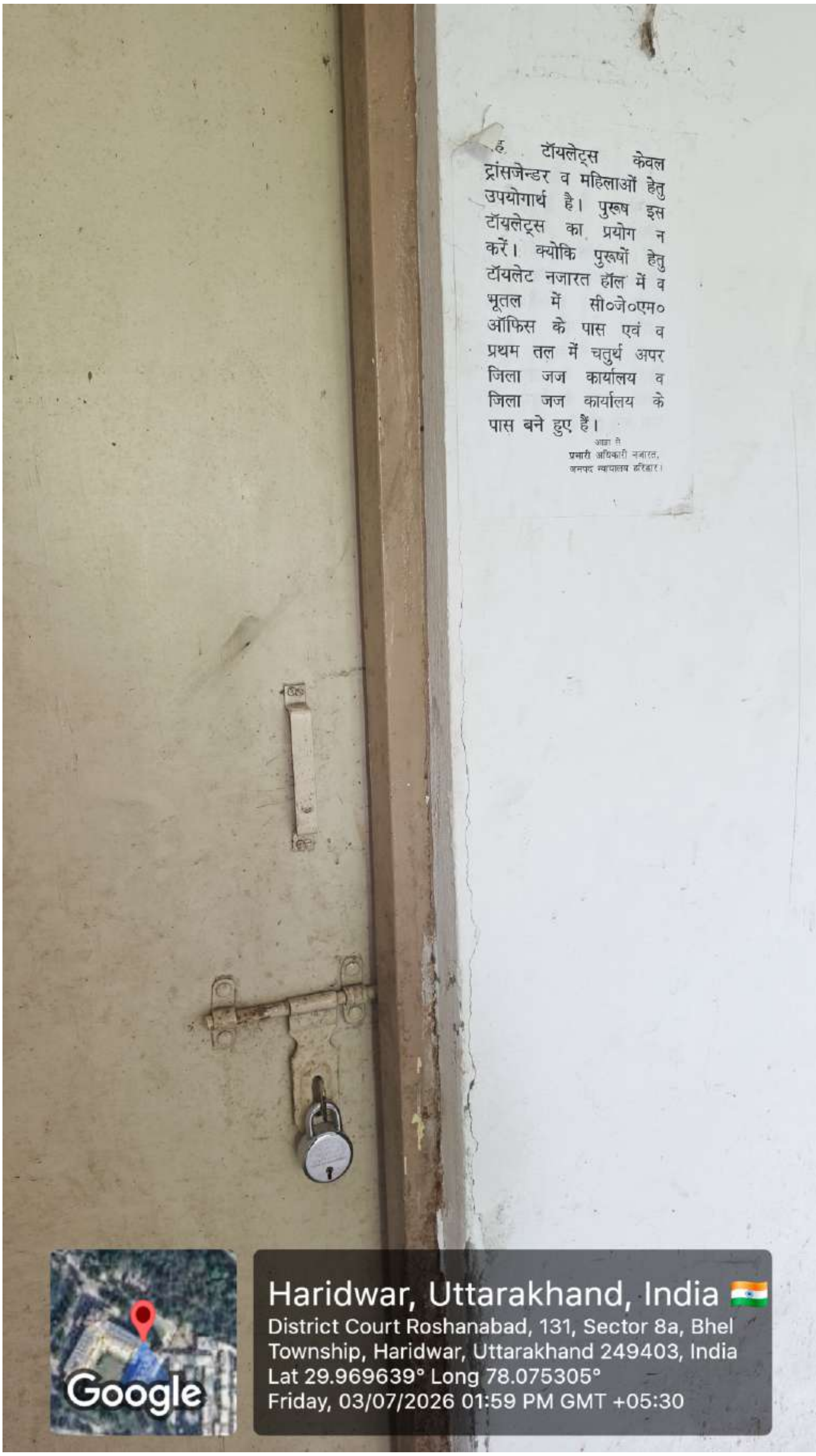

न्यायालय श्रीमान चतुर्थ–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार कार्यालय के पास स्थित शौचालय अत्यंत अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

न्यायालय श्रीमान चतुर्थ–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार कार्यालय के पास स्थित शौचालय अत्यंत अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

न्यायालय श्रीमान चतुर्थ–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार कार्यालय के पास स्थित शौचालय अत्यंत अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में बार के सदस्यों/अधिवक्ताओं के प्रयोजनार्थ शौचालय अत्यंत अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में बार के सदस्यों/अधिवक्ताओं के प्रयोजनार्थ शौचालय अत्यंत अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार में बार के सदस्यों/अधिवक्ताओं के प्रयोजनार्थ शौचालय अत्यंत अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

कलेक्ट्रेट/जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित पुरूष शौचालय तालाबंद पाये गये

कलेक्ट्रेट/जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित महिला शौचालय तालाबंद पाये गये

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–हरिद्वार कार्यालय परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय अत्यंत जर्जर, अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–हरिद्वार कार्यालय परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय अत्यंत जर्जर, अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–हरिद्वार कार्यालय परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय अत्यंत जर्जर, अस्वच्छ एवं अनुपयोगी स्थिति में पाये गये

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–हरिद्वार कार्यालय परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय कूडेदान/स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–हरिद्वार कार्यालय परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय कूडेदान/स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं।

तहसील, हरिद्वार परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय पूर्णतः जर्जर एवं अनुपयोगी, अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में पाये गये।

तहसील, हरिद्वार परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय पूर्णतः जर्जर एवं अनुपयोगी, अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में पाये गये।

तहसील, हरिद्वार परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय के बाहर विभिन्न शराब की बोतल/पैकेट का ढेर पाया गया।

तहसील, हरिद्वार परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय अनुपयोगी एवं अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में पाये गये।

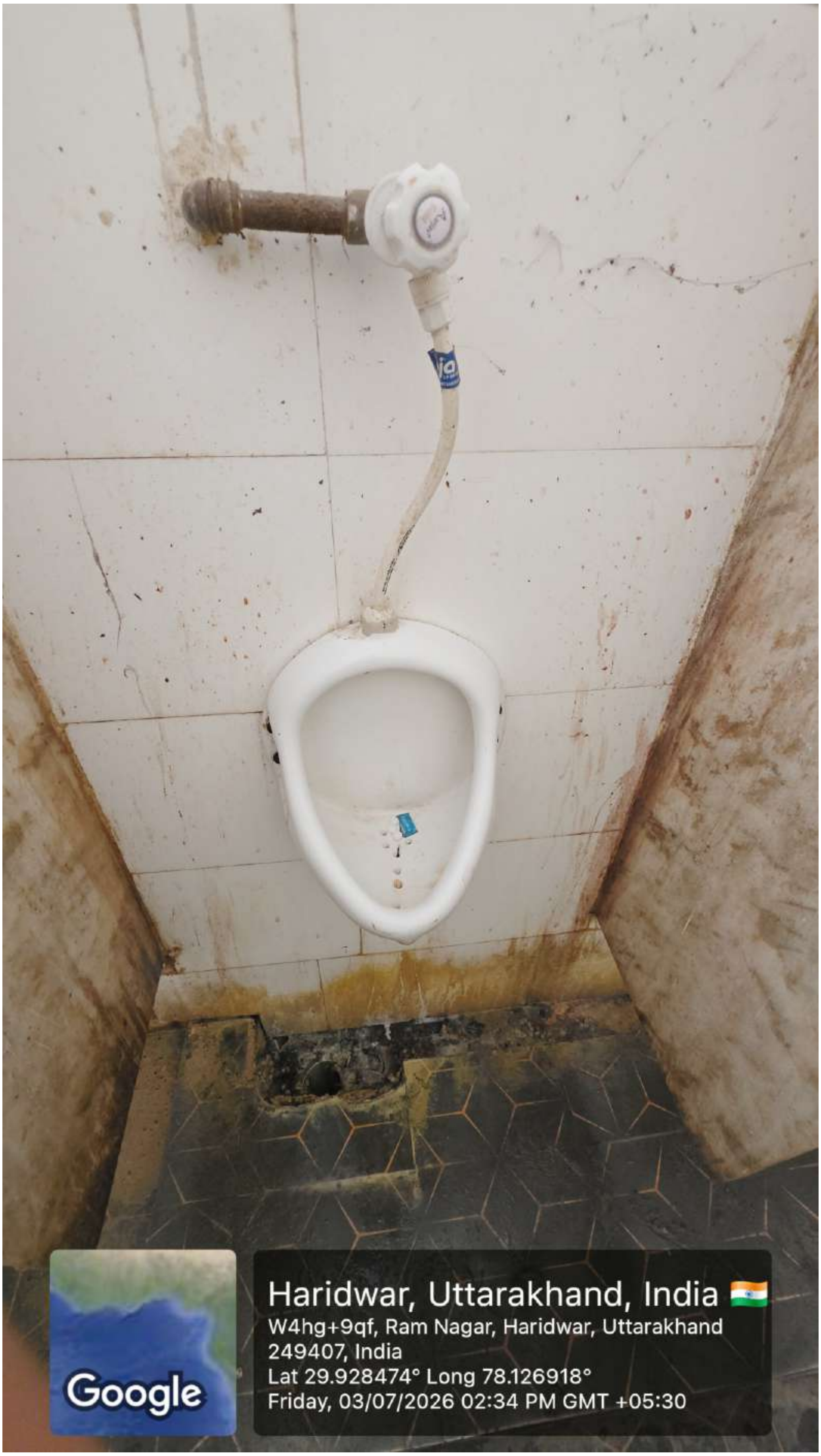

तहसील, हरिद्वार परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय अनुपयोगी एवं अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में पाये गये।

तहसील, हरिद्वार परिसर में लोक प्रयोजनार्थ निर्मित शौचालय अनुपयोगी एवं अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में पाये गये।